153

संख्या– 25 / XLI-1 / 2012–प्रशि0–04 / 06

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी(नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 14 जून 2012

विषयः– विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–12223–24 / डीटीईयू / भवन / 0450 / हरि0 (वि), डे0,ना0 / 2011, दिनाक 28 सितम्बर 2011, पत्र संख्या–2842–43 / डीटीईयू / भवन / 0450 / हरिद्वार(वि) / 2011,दिनाक 25 फरवरी 2012, शासनादेश संख्या–1961 / VIII / 04–प्रशि0 / 2006, दिनांक 14.12.2006, संख्या–29 / VIII / 08–04– प्रशि0 / 2006, दिनांक 08.02.2008 तथा शासनादेश संख्या–2608 / VIII / 04–प्रशि0 / 2006, दिनांक 24.12.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार के आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हरिद्वार द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन ₹383.60 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹380.16 लाख (रूपये तीन करोड़ अस्सी लाख सोलह हजार मात्र) के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, अब तक अवमुक्त धनराशि ₹283.56 लाख को समायोजित करते हुये, अवशेष ₹96.60 लाख (रूपये छियानब्बे लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

2– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्तान्तरित कराया जाना अवश्यक सुनिश्चित किया जायेगा।

7– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

8– उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

10– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 80–सामान्य–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण–00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–15P/XXVII(5)/2012–13 दिनॉक 07–06–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (वि) हरिद्वार।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हरिद्वार।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।